# न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 01/2020

निर्णय दिनांक 19.02.2020

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का राजासर भाटियान तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

**प्रार्थी**

बनाम

कानाराम दत्तक पुत्र शेराराम कौम जाट साकिन राजासर भाटियान तहसील छतरगढ जिला बीकानेर

**अप्रार्थी**

## अन्तर्गत राजस्थान भू.रा. अधिनियम 1956 की धारा 91

### –निर्णय–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजासर भाटियान ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी कानाराम दत्तक पुत्र शेराराम कौम जाट साकिन राजासर भाटियान तहसील छतरगढ जिला बीकानेर ने ग्राम राजासर भाटियान के खसरा नम्बर 823 में 10.00 बीघा बारानी राजकीय भूमि पर कृषि सम्वत 2076 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर तारामीरा की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को दिनांक 19.02.2020 को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली दिनांक 19.02.2020 को पेशी में ली गई। अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित, अप्रार्थी के विरूद्व ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू–राजस्व का 50 गुना 125/–अक्षरे एक सौ पच्चीस रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। भू.अ.निरीक्षक महादेववाली को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खडी फसल को कुर्क कर, कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष मे जमा करावे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner